न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 107/2022

अनवान : –

1. शकुन्तला देवी पत्नी महिपतराम जाति जाट निवासी साहवा तहसील तारानगर।

–प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थीग

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री हंसराज बैनीवाल अधिवक्ता **प्रार्थीया**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांकः** 5/4/28

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 535/524 के ख0न0 99 की 8.7380है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि में प्रार्थीया का नाम रामप्यारी पत्नी महिपतराम पता कुलडियान दर्ज है जो कि गलत है जबकि प्रार्थीया का सही नाम शकुन्तला देवी पत्नी महिपतराम जाति जाट निवासी साहवा तहसील तारानगर है जो कि प्रार्थीया के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत साहवा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर जिला चुरूं के निर्णय दिनांक 09.01.23 की चित्रप्रति आदि में दर्ज है। प्रार्थी अपने दस्तावेजों के अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दुरस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को काफी मर्तबा कहा की प्रार्थी का नाम व जाति सही कर देवे जिस पर अप्रार्थी कुछ दिन तो आजकल आजकल करता रहा आखिरकार इन्कार हो गया इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा अपने पत्रांक 902 दिनांक 27.01.2023 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित कि गई कि नाम दुरूस्ती बाबत विधिसम्मत कार्यवाही उचित है।

बहस वकील प्रार्थीया सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहरांते हुए कथन किया कि [illegible] नाम सही नाम शकुन्तला देवी पत्नी महिपतराम जाति जाट निवासी सा[illegible] राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम रामप्यारी पत्नी महीपतराम जा[illegible] निवासी कुलडियान दर्ज हो गय[illegible]से प्रार्थीया को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थीया के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:57:13 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया ने रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 535/524 के ख0न0 99 की 8.7380है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसमें प्रार्थीया अपना नाम रामप्यारी पत्नी महीपतराम जाति जाट निवासी कुलडियान के स्थान पर शकुन्तला देवी पत्नी महिपतराम जाति जाट निवासी साहवा तहसील तारानगर दर्ज करवाना चाहती है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत साहवा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर जिला चुरू के निर्णय दिनांक 09.01.23 की चित्रप्रति आदि में सही नाम शकुन्तला देवी पत्नी महिपतराम जाति जाट निवासी साहवा तहसील तारानगर अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम सही करने हेतु विधिसम्मत कार्यवाही की अभिशंषा की गई है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार योग्य है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोट एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार कर रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 535/524 के ख0न0 99 की 8.7380है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **प्रार्थीया रामप्यारी पत्नी महिपतराम जाति जाट निवासी कुलडियान के स्थान पर सही नाम रामप्यारी उर्फ शकुन्तला देवी पत्नी महिपतराम जाति जाट निवासी साहवा तहसील तारानगर किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच रामप्यारी पत्नी महीपतराम जाति जाट निवासी कुलडियान के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का रामप्यारी पत्नी महीपतराम जाति जाट निवासी कुलडियान के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम रामप्यारी पत्नी महीपतराम जाति जाट निवासी कुलडियान ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 4/4/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:57:13 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर